



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15194

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 582 सन् 2026

राम भारोस और 20 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अमित कुमार पांडे, विद्या नाथ शुक्ला

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री विद्या नाथ शुक्ला और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय की दलीलें सुनीं।

2. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे सब इंस्पेक्टर हैं और उन्होंने 19 वर्ष की सेवा की है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे उन लाभों के हकदार हैं जो **रिट याचिका संख्या 44330/2012 (घनश्याम तिवारी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य)** और उस पर जारी शासनादेशों के तहत याचिकाकर्ताओं को दिए गए थे। उनका निवेदन है कि उन्होंने 19 वर्ष से अधिक सेवा की है, इसलिए वे दिनांक 02.12.2020 के शासनादेश के अनुसार एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि के हकदार हैं।

3. विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने सिविल विविध मामले में दिनांक 07.09.2012 को पारित निर्णय पर कोई विवाद नहीं किया। **रिट याचिका संख्या 44330/2012 (घनश्याम तिवारी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य)** के साथ-साथ इसी प्रकार की याचिका, **रिट ए संख्या 6429/2018 (दिनेश कुमार शुक्ला और 14 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य)**, जिसका निर्णय 22.02.2018 को हुआ था। दिनांक 22.02.2018 के आदेश को इस न्यायालय के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत अंतरा-न्यायालय अपील में चुनौती दी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गई थी और इस पर दिनांक 07.09.2016 के निर्णय और आदेश द्वारा निर्णय लिया गया था, जिसमें याचिकाकर्ताओं के दावे को सिविल विविध रिट याचिका संख्या 44330/2012 (घनश्याम तिवारी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में दिनांक 07.09.2012 को पारित निर्णय और आदेश के अनुसरण में उचित ठहराया गया था।

4. उपरोक्त के मद्देनजर, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 3, पुलिस उप महानिरीक्षक, स्थापना, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर उचित निर्णय लें।

21 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।